न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर /90/2023

1. कृष्ण कुमार पुत्र नाहरसिंह जाति मीणा निवासी पाडा नांगल गोविन्द हिंगोटियां तहसील दौसा
2. तिर्थ सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति मीणा निवासी पाडा नांगल गोविन्द हिंगोटियां तहसील दौसा

वादीगण

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र रामदेव जाति मीना
2. श्रवणलाल पुत्र नामनारायण जाति मीना

समस्त निवासी ग्राम रामपुरावासथली तहसील आंधी जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

(दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.)

निर्णय दिनांक 14.12.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की और से वाद पत्र श्री पुष्पेन्द्र शर्मा डवोकेट ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्राफार्म प्रतिवादी संख्या 4 की हक काश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 1.5600 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम रामपुरावासथली पटवार मण्डल थली तहसील आंधी में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजीया तमे वादी संख्या 1 का संयुक्त हिस्सा 17/52 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त हिस्सा 89/156 भाग स्थित हे उक्त वादग्रस्त आराजीयात का तहसील कार्यालय आंधी द्वारा सीमा ज्ञान करवाकर सीमाज्ञान टी द्वारा वरवक्त सीमाज्ञान बताये गये सीमाहिन्ह अनुसार वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षार्थ चारो तरफ खम्बे गडवाकर पुख्ता तारबन्दी करवाकर जाली खीच दी जिस पर वादीगण साधिकार काबिज काश्त है तथा प्राफार्म प्रतिवादी संख्या 4 भी अपने हिस्से पर साधिकार काबिज काश्त है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के पडोसी खातेदार है जो कि झगडालू प्रवृति के लोग है तथा जमीनो का कारोबार करते हे इन्होने एक गिरोह बना रखा है जो कि गरीब तबके तथा बाहरी व्यक्तियो पर नाजायत दबाव बनाकर उनकी भूमियो को ओने पोने दामो मे खरीदते हे । उक्त व्यक्ति वादी की उपरोक्त वर्णित तारबन्दी शुद्दा भूमि पर से जबरन तारबन्दी को खोलकर प्रवेश करने पर उतारू हो गये तथा बेदखल करने के लिये आमादा है । अतः वादी वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 1.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरावासथली तहसील आंधी की पुख्ता निर्मित तारफेसिंग को खुर्द बुर्द नहीं करे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे तथा उपयोग उपभोग मे बांधा उत्पन्न नहीं करे तथा मौका की यथा स्थिति बनाये रखे । उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे था ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट पार्टनर ठैकेदार , मजदूर आदि से करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई । प्रतिवादी संख्या 1, 2 की और से श्री रामस्वरूप शर्मा एडवोकेट उपस्थित । वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने जवाब दावा पेश किया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

तथा निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 व 2 स्वीकार है । मद संख्या 3 में अंकित तथ्ये स्वीकार नहीं है । मिन उत्तरदाता की भूमि वादी की खातेदारी भूमि के लगवा स्थित रहीं है वादी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाते समय मिनउत्तरदाता के द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर वरवक्त सीमाज्ञान मे पूर्ण सहयोग किया तथा दिनांक 18.6.2023 को कोई धटना धटित नहीं हुई अतः जवाब दावा रिकार्ड पर लेकर वाद पत्र का सतुचित निरतारण किये जाने की आज्ञा प्रदान फरमायें ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 1.5600 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामपुरावासथली तहसील आंधी की पुख्ता निर्मित तारफेसिंग को खुर्द बुर्द नहीं करे वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे तथा उपयोग उपभोग मे बांधा उत्पन्न नहीं करे एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखे । उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट पार्टनर ठैकेदार , मजदूर आदि से करावें । वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहें ।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले इजलाश में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर .

डिक्री मुकदमा ईबताई (रूल्स 18–21)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मुकदमा नम्बर /90/2023

1. कृष्ण कुमार पुत्र नाहरसिंह जाति मीणा निवासी पाडा नांगल गोविन्द हिंगोटियां तहसील दौसा
2. तिर्थ सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति मीणा निवासी पाडा नांगल गोविन्द हिंगोटियां तहसील दौसा

वादीगण

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र रामदेव जाति मीना
2. श्रवणलाल पुत्र नामनारायण जाति मीना

समस्त निवासी ग्राम रामपुरावासथली तहसील आंधी जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

(दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.)

अन्तिम डिक्री **दिनांक 14.12.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर0 ए0 एस0 व हाजिरी श्री पुष्पेन्द्र शर्मा श्री रामस्वरूप शर्मा एडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 1.5600 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामपुरावासथली तहसील आंधी की पुख्ता निर्मित तारफेसिंग को खुर्द बुर्द नहीं करे वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे तथा उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखे । उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट पार्टनर ठैकेदार , मजदूर आदि से करावें । वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहें

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ